By Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. RLM/1/2016/STGDH/SEHRMT/RU-I

Date: 02/06/2017

To

The Commissioner of Police,
Delhi Police,
Police Headquarters,
I.P. Estate,
New Delhi.

Sub: Representation dated 06/04/2016 received from Shri Ram Lal Meena, S/o Shri Mundyaram Meena, Belt No. 1863 PCR, Baamanvaas, Patti, Khurd, Vonda family, District Sawai Madhopur, Rajasthan regarding re-statement in service.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of the Sitting held in the NCST on 05/04/2017 on the above mentioned subject for necessary action.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

Shri Ram Lal Meena,
S/o Shri Mundyaram Meena,
Belt No. 1863 PCR,
Baamanvaas, Patti, Khurd, Vonda family,
District Sawai Madhopur,
Rajasthan.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice Chairperson, NCST.
2. SSA NIC (for hosting on Commission's website)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावलीः आरएलएम/1/2016/एसटीजीडीएच/एसईएचआरएमटी/आरयू-1

श्री रामलाल मीणा ने दिल्ली पुलिस से पेंशन दिलवाने के संबंध में माननीय सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 05.04.2017 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के सभाकक्ष में संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि– 05.04.2017
सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों की सूची अनुलग्नक "क पर है।
प्रकरण का विवरणः

श्री रामलाल मीना ने दिनांक 06.04.2016 को दिल्ली पुलिस द्वारा सेवा में बहाल करने के संबंध में अभ्यावेदन दिया। जिस पर दिनांक 11.04.2016 को आयोग ने आयुक्त, दिल्ली पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। उपायुक्त, दिल्ली पुलिस ने दिनांक 29.04.2016 को प्रकरण में प्रतिउत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि श्री रामलाल मीना अनाधिकृत एवं बिना किसी सूचना के 7 बार सेवा में अनुपस्थित रहे जिनमें 4 बार उनके निवास पर ड्यूटी पर वापस आने अन्यथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की सूचना के नोटिस भेजने के बाद तथा विभागीय जांच में ज्वाइन(पदभार ग्रहण) करने हेतु आदेशित करने के उपरान्त भी इन्होंने पुनः ज्वाइन नहीं किया। इसके पहले श्री रामलाल मीना 72 बार विभिन्न अवसरों पर अनुपस्थित रहे हैं। तदनुपरान्त विभागीय जांच अधिकारी की संस्तुति पर दिनांक 21.5. 2014 को पदच्युत किया गया। इसी के तारतम्य में श्री रामलाल मीना ने 2005 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिल्ली में इसी संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था, परंतु केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने इसे निरस्त कर दिया इसके बाद तथा सी.डब्लू.पी. तथा एस.एल.पी को माननीय उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया।

आयोग ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त प्रतिउत्तर से श्री रामलाल मीना को दिनांक 19. 9.2016 को पत्र द्वारा सूचित किया गया। इसके उपरांत श्री रामलाल मीना ने दिनांक 19.9. 2016 को पेंशन जारी करने के संबंध में अलग से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

दिल्ली पुलिस ने आयोग से प्राप्त पत्र के प्रतिउत्तर में दिनांक 16.1.2017 को अवगत कराया कि सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के अनुसार पदच्युत कर्मचारी हेतु पेंशन का प्रावधान नहीं है। इनके क्षतिपूर्ति भत्ते हेतु आवेदन को भी विचारोपरान्त सक्षम स्तर से आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

आयोग ने प्राप्त प्रतिउत्तर को श्री रामलाल मीना को प्रेषित किया जिस पर उन्होंने दिनांक 21.3.2017 को आयोग में पत्नि की बीमारी के कारण सेवा में अनुपस्थित रहने से निष्कासित करने तथा समय-समय पर सेवा बहाली हेतु एवं पेंशन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर इंकार कर देने को आधार बनाते हुए पुनः प्रतिवेदन दिया जिस पर आयोग ने संज्ञान लेकर आयुक्त, दिल्ली पुलिस को मामले में साक्ष्यों के साथ चर्चा हेतु बुलाया। आयुक्त, दिल्ली पुलिस ने सहायक आयुक्त, (विजिलेंस/पी.सी.आर) दिल्ली पुलिस को चर्चा हेतु भेजा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uike
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्री रामलाल मीना ने प्रकरण में अवगत कराया कि 14 वर्ष, दिल्ली पुलिस में कार्य करने बाद उन्हें इस स्थिति में जब उनकी पत्नी बीमार थी तब उनके इलाज के कारण सेवा से अनुपस्थिति को आधार मानते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया गया तथा और उन्हें अपील का मौका नहीं देते हुए एकतरफा कार्यवाही कर हटा दिया गया और पेंशन भी स्वीकृत नहीं की गई। जबकि कुछ इसी प्रकार के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय का पेंशन स्वीकृति की व्यवस्था दी है।

सहायक आयुक्त, दिल्ली पुलिस ने अवगत कराया कि श्री रामलाल मीना सेवा से 72 अलग–अलग अवसरों पर बिना किसी अनुमति एवं सूचना के अनुपस्थिति पाए गए जिसके संबंध में श्री मीना को उनके आवास के पते पर ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु 4 बार नोटिस जारी किए गए लेकिन वो नहीं आए। इसके अतिरिक्त अनेकों बार इन्हें चेतावनियॉं दी गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। 14 बार परवाने दिए गए उसके बाद जॉच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच में सभी बिंदुओं पर विचार कर दिनांक 21.5.2004 को उपायुक्त, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस में एक आदेश द्वारा श्री रामलाल मीणा को बर्खास्त/निष्कासित किया गया। अतिरिक्त आयुक्त, दिल्ली पुलिस ने श्री मीना की अपील को निरस्त कर दिया तथा तदानुपरान्त केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 21.8.2006 को इनकी अपील निरस्त कर दी। माननीय सर्वोच्चय न्यायालय ने भी पुनर्विचार याचिका को देरी से प्रस्तुत करने को आधार मानते हुए निरस्त कर दिया।

आयोग द्वारा पूछने पर सहायक आयुक्त ने अवगत कराया कि श्री रामलाल मीना को सेवाओं से बर्खास्त/निष्कासित किया गया है और ऐसी स्थिति में पेंशन नियम, 1972 के तहत पेंशन लाभ देय नहीं है। इसके अतिरिक्त श्री मीना की पत्नी की बीमारी के संदर्भ में विभाग को कोई जानकारी नहीं है साथ ही ज्ञातव्य हो कि इनका निष्कासन 2004 में हुआ और इनकी पत्नी की बीमारी का मामला 2013 का है, जिनका आपस में संबंध प्रतीत नहीं होता।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय से भी इन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की गई है, ऐसी स्थिति को मध्येनजर रखते हुए आयोग भी इन्हें कोई राहत प्रदान नहीं कर सकता है। फिर भी यदि दिल्ली पुलिस इनकी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें न्यायोचित प्रावधानों के तहत राहत प्रदान कर सकती है तो उत्तम होगा।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक – क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावली : RLM/1/2016/STGDH/SEHRMT/RU-I

श्री रामलाल मीना पुत्र श्री मुंडयाराम मीना, बेल्ट न. 1863 पी.सी.आर., बामनवास पट्टी खुर्द जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान) को दिल्ली पुलिस द्वारा सेवा में पुनः लिए जाने तथा पेंशन शुरु करवाने के क्रम में प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 05.04.2017 को अपराह्न 3:00 बजे संपन्न हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची –

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप-सचिव
3. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
4. श्री नरेन्द्र कुमार जांगिड, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री अच.आर. मीना, वरिष्ठ अन्वेषक

आयुक्तालय, दिल्ली पुलिस के अधिकारी

1. श्री जोरावर सिंह, सहायक आयुक्त (विज./पी.सी.आर.), दिल्ली पुलिस
2. श्री विक्रम सिंह, उप-निरीक्षक, दिल्ली पुलिस

अभ्यावेदक

1. श्री रामलाल मीना